प्र.सं. 38/22, 53/22 जगन्नाथ बनाम मांगीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय चिरंजीवलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 115 रकबा 0.0850 हैक्टर, आराजी नंबर 137 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 0.1450 हैक्टर भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में कमललाल पिता मोतीलाल 1/2, भीमलाल, श्रीलाल पिता गंगाराम 2/6 तथा अम्बालाल पिता चुन्नीलाल व लीला देवी पत्नी अम्बालाल 1/6 हक व हिस्से से दर्ज है। कमललाल का निधन होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। इसी प्रकार भीमलाल के वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 10 हैं। उक्त आराजियात के मूल खातेदार मोतीलाल मेनारिया थे, जिनके बाद उक्त जमीन पर उनके पुत्र कमललाल एवं गंगाराम काबिज हुए। कमललाल व गंगाराम ने अपने जीवनकाल में करीब 40 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक बंटवारा कर लिया था। बंटवारे में आराजी नंबर 137 कमललाल के हिस्से में तथा आराजी नंबर 115 गंगाराम के हिस्से में आयी एवं इसी अनुसार दोनों अपनी–अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। गंगाराम जी की मृत्यु के बाद आराजी नंबर 115 पर उनके पुत्र भीमलाल, हीरालाल व श्रीलाल काबिज हुए तथा उनके निधन के भीमलाल व हीरालाल के निधन के बाद उनके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 काबिज हैं तथा श्रीलाल प्रतिवादी संख्या 11 होकर अपने हिस्से पर काबिज है। इसी प्रकार आराजी नंबर 137 पर कमललाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काबिज हुए। प्रतिवादी संख्या 1 उदयलाल ने अपने हिस्से के भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया तथा अलमारी बनाने का कारखाना लगवाया। प्रतिवादी संख्या 2 जगन्नाथ ने अपने हिस्से का भूखण्ड शोभालाल मेनारिया को विक्रय कर दिया, जिस पर शोभालाल जी काबिज हुए। प्रतिवादी संख्या 3 दुर्गाशंकर का भूखण्ड खाली पड़ा हुआ है, जिस पर दुर्गाशंकर काबिज उपयोग–उपभोग करता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्षो पूर्व पक्षकारों के मध्य विभाजन हो चुका है तथा समय–समय पर विभाजन बाबत् इकरारनामा दिनांक 10.08.1990, 10.03.2008 एवं लिखतम दिनांक 23.03.2013 निष्पादित किये गये हैं, जिसमें भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार पूर्व में हुए विभाजन अनुसार आराजी नंबर 115 पर स्वर्गीय भीमलाल के वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 10 व प्रतिवादी संख्या 11 श्रीलाल एवं स्वर्गीय हीरालाल के वारिस से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने भूमि क्रय की उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं तथा आराजी नंबर 137 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काबिज चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजी नंबर 115 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 को 1/3, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिविादी संख्या 11 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 137 का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आराजी नंबर 115 पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 115, 497 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 115, 497 का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 24.01.2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए आराजी नंबर 115, 137, 297 व 499 कुल किता 4 रकबा 0.2000 हैक्टर बाबत् विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 24.02.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.01.2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपील संख्या 38/2022 इस न्यायालय में दिनांक 30.05.2022 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2021 के विरूद्ध अपील संख्या 53/2022 दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत की।

उक्त दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 अभिभाषक श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित एवं प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि कोरोना काल होने एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयानुसार देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील करीब 1950 दिन पश्चात प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी थी। अंतिम डिक्री के विरूद्ध भी अपील करीब एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः दोनों अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 137 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि पूर्व में ही दिनांक 01.02.2008 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे उक्त आराजी का बंटवारा नहीं किया जा सकता, न ही उक्त भूमि किसी को प्रदान की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 6 के अलावा किसी की उपस्थिति दर्ज नहीं है, न ही उनके विरूद्ध किसी प्रकार की एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा ही जवाब प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है, शेष का उल्लेख पत्रावली पर नहीं है तथा कोई तनकी कायम नहीं की गयी है एवं बिना किसी शहादत के दावा व काउण्टर दावा डिक्री कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.01.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2021 अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 24.01.2017 को सहमति से डिक्री जारी की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिवत सूचना पत्र जारी हुए है तथा बंटवारा रिपोर्ट पर पक्षकारों के सहमत होने पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से दोनों अपीलें खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया है कि आराजी नंबर 137 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 01.02.2008 को वाद संख्या 450/2004 न्यायालय विशेषाधिकारी (भूमि अपाप्ति) नगर विकास प्रन्यास द्वारा पंचाट जारी कर भूमि को अधिग्रहित कर लिया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता, न ही उक्त भूमि किसी को प्रदान की जा सकती है तथा सभी खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से का मुआवजा प्राप्त कर लिया है। हालांकि अपीलान्ट ने इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु इस बिन्दु की जांच की जानी आवश्यक है कि क्या आराजी नंबर 137 जो अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री अनुसार अपीलान्ट व उसके भाई उदयलाल व दुर्गाशंकर को प्राप्त हुई है, नगर विकास प्रन्यास द्वारा अवाप्त की जा चुकी है अथवा नहीं ? प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की गयी है तथा बिना तनकियात कायम किये तथा बिना कोई साक्ष्य लिए निर्णय पारित करते हुए डिक्री जारी कर दी गयी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 124/2014 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.01.2017 एवं प्रकरण संख्या 138/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested